न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), संगरिया पीठासीन अधिकारी – राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 434-2024

1. कुनाल गोदारा पुत्र संजीव कुमार 2. राजीव कुमार पुत्र गोपीराम जाति बिश्नोई सा. मालारामपुरा 3. मन्जूबाला पत्नी ओमप्रकाश 4. रघुवीर पुत्र ओमप्रकाश 5. शिवानी पुत्री ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी संगरिया 6. हनुमान पुत्र जीतराम जाति बिश्नोई 7. हरदीपसिंह 8. हरमनप्रीत सिंह पि. हरदेवसिंह जाति जटसिख सा. चक 11 केएसडी 9. रायसाहब 10. विनोद 11. कुलदीप 12. उर्मिला पुत्र–पुत्री कृष्णलाल पुत्र शामाराम 13.पृथ्वी पुत्र शामाराम 14. सावित्री देवी पत्नी मनोहरलाल पुत्र शामाराम 15. अमनदीप 16. अनिल कुमार 17. सुनीता पुत्र–पुत्री मनोहरलाल पुत्र शामाराम 18. इन्द्रजीत पुत्र मनफुलराम पुत्र मलू समस्त जाति बिश्नोई सा. रामपुरा नारायणपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब) 19. कमला पुत्री मनफूलराम पुत्र मलू पत्नी अमरसिंह जाति बिश्नोई सा. 28 के. एस.डी. बुधरवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.) 20. शीलोदेवी पत्नी रामस्वरूप पुत्र मनफूल 21. रजनी 22. मायादेवी 23. रानी 24. सुमीत पुत्रियां–पुत्र रामस्वरूप पुत्र मनफूल 25. मोहिनी देवी पत्नी हजारी 26. नरेन्द्र कुमार 27. सुरेन्द्र कुमार 28. सुनीता पुत्र–पुत्री हजारी 29. जगदीश पुत्र भागीरथ 30. शिवकुमार पुत्र भागीरथ 31. सलीन्द्र कुमार उर्फ सुनील कुमार पुत्र शिव कुमार 32. अमितकुमार 33. अनिल कुमार पि. जगदीश 34. निर्मल पुत्र बुधराम पुत्र बगड़ावत पुत्र धीरा जाति बिश्नोई निवासी सा. रामपुरा नारायणपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)

– वादीगण

बनाम

तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

– प्रतिवादी

वाद वास्ते घोषणा एवं तकसीम खाता व दुरूस्ती रिकार्ड

उपस्थित –

1. श्री जसवीरसिंह एडवोकेट (वादीगण)
2. राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

निर्णय

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 आर.टी ए. व 136 एल. आर. एक्ट प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादीगण आपस में सह–खातेदार काश्तकार हैं। वादी सं.1 व 2 आपस में, वादी सं. 3 ता 5 आपस में, वादी सं. 7 व 8 आपस में, वादी सं. 9 ता 24 आपस में 25 ता 28 आपस में, 29 ता 33 आपस में एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं। वादी सं. 9 ता 12 मृतक खातेदार कृष्ण पुत्र शामाराम, वादी सं. 14 ता 17 मृतक खातेदार मनोहर पुत्र शामाराम व वादी सं. 18 ता 24 मृतक खातेदार मनफूल पुत्र मलू के विधिक वारिसान के साथ–साथ मृतक खातेदार तुलसी [illegible] अविवाहित फौत खातेदार रामगोपाल पुत्र मलू के विधिक वारिसान भी [illegible] प्रकार वादी सं. 25 ता 28 मृतक खातेदार हजारी पुत्र [illegible] तथा वादी [illegible] 34 मृतक खातेदार बगड़ावत पुत्र धीरा का विधिक वारिस है।

वादीगण की कृषि भूमि तहसील संगरिया के चक 11 केएसडी में अवस्थित है। मुताबिक रिकार्ड चालू जमाबंदी चक 11 केएसडी संवत् 2071–74 के खाता सं. 41/4 कुल खाता योग 10.829 है. में वादी सं.1 के नाम 3793 हि., वादी सं.3 ता 5 प्रत्येक के नाम 559 हि., वादी सं.6 के नाम 876 हि., वादी सं. 7 व 8 प्रत्येक के नाम 645 हि., वादी सं. 9 ता 12 के मृतक पिता कृष्ण पुत्र शामाराम के नाम 53 हि., मृतका दादी तुलसी पत्नी शामाराम के नाम 54 हि., वादी सं. 13

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.09 14:26:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

के नाम 53 हि., वादी सं. 14 के पति एवं वादी 15 ता 17 के पिता मृतक मनोहरलाल पुत्र शामाराम के नाम 53 हि., वादी सं.18, 19 के पिता वादी सं.19 के ससुर तथा 21 ता 24 के दादा मनफूल पुत्र मलू के नाम 213हि. एवं अविवाहित मृतक रामगोपाल पुत्र मलू के नाम 214हि., वादी सं.25 के मृतक पति व प्रति.सं. 26 ता 28 के मृतक पिता हजारी पुत्र फूला के नाम 1688 हि., वादी सं.29 व 30 प्रत्येक के नाम 238 हि., वादी सं. 31 के नाम 238 हि., वादी सं. 32 के नाम 119 हि., वादी सं. 33 के नाम 120 हि. तथा वादी सं. 34 के दादा मृतक बगड़ावत पुत्र धीरा के नाम 3351 हि. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त खाता की चालू जमाबंदी वाद–पत्र के साथ संलग्न है तथा खाता में दर्ज कुल कृषि भूमि का विवरण अग्रलिखितानुसार है –

चक 11 केएसडी जमाबंदी संवत् 2071–74 खाता सं. 41/4–

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
128/106	9	14/0.089है., 15/0.063है., 16,17,24,25/.253 है.प्र.
128/107	22	4/1/.228है., 4/2/0.025है. रास्ता 5/1/.202है., 5/2/0.025 खाला, 5/3/0.026है. रास्ता, 6/1/.228है, 6/2/0.025है. रास्ता, 7/.253 है., 15/1/.228है.,15/2/0.025है.,खाला 17,23,24/.253 है.प्र.
128/108	29	11/0.051है., 12/0.038है.,
129/106	8	13/0.013है., 16/.240है., 17ता25/.253है.प्र.
129/107	23	1/1/.228है., 1/2/0.025है. रास्ता 2/1/.228है., 2/2/0.025है. रास्ता 3/1/.228है., 3/2/0.025है. रास्ता 4/1/.228है., 4/2/0.025है. रास्ता 5/1/.202है., 2/2/0.051है. रास्ता 6/1/.228है., 6/2/0.025है. रास्ता 7 ता 14/.253है.प्र., 15/1/.228है. 15/2/0.025 है. रास्ता 20/2/.215है., 21/.253 है.
130/106	7	1/1/.228है., 1/2/0.025है. रास्ता
130/107	24	10,11/.253 है.प्र.
		कुल 10.829 है. मय गै.मु. नहरी कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.09 14:26:17 IST
Reason: SelfAttested

वाद–पत्र की चरण सं. 3 में उल्लेखित कृषि भूमि के [illegible] वादीगण ने अच्छी–मंदी भूमि के आधार पर रास्ता खाला व [illegible] की सुविधा तथा जोत के एकीकरण को ध्यान में रखक[illegible] घरू विभाजन [illegible] था। उक्त घरू विभाजन के अनुसार प्राप्त कृषि भू[illegible] के [illegible] एवं धारण में है। जिसे वादीगण बिना किसी विघ्न बाधा के निरंतर [illegible] काश्त करते आ रहे हैं। आधिपत्य के संबंध में कोई वाद विवाद नहीं है। चक 11 केएसडी के उक्त खाता सं. 41/4 में मुताबिक विभाजन/विनिमय आदेश क्रमांक भू.अ./2021/ 1149 दिनांक 08.12.2021 के अनुसार वादी सं.1 0.608 हि, वादी सं.2 3.150 हि. कृषि भूमि का खातेदार–काश्तकार है। उक्तानुसार कृषि

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

भूमि वादी सं.1 की कम की जाकर वादी सं.2 के नाम दर्ज की जावे। उक्त खाता में कृष्ण पुत्र शामाराम के नाम दर्ज कृषि भूमि के वादी सं. 9 ता 12, मनोहरलाल पुत्र शामाराम के नाम दर्ज कृषि भूमि के वादी सं. 14 ता 17, मनफूल पुत्र मलू के नाम दर्ज कृषि भूमि के वादी सं. 18 ता 24 व तुलसी पत्नी शामाराम के नाम दर्ज भूमि के वादी सं. 9 ता 17 खातेदार काश्तकार हैं। जरिये वसीयतनामा दिनांक 13.02.2008 के रामगोपाल पुत्र मलू के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादी सं. 18 खातेदार काश्तकार है। उक्त खाता से कृष्ण, मनोहरलाल पि. शामाराम, तुलसी पत्नी शामाराम, मनफूल, रामगोपाल पि. मलू का नाम कलमजन किया जाकर विभाजन में दिये गये रकबे के हिस्सानुसार कृषि भूमि वादी सं. 9 ता 24 के नाम दर्ज की जावे। इसी प्रकार हजारी पुत्र फुला के नाम दर्ज कृषि भूमि की वादी सं. 25 खातेदार काश्तकार है। वादी सं. 26 ता 28 उक्त कृषि भूमि हिस्सा नहीं लेना चाहते उन्होनें अपने हक का मौखिक परित्याग वादी सं. 25 के हक में कर दिया है। उक्त खाता से हजारी पुत्र फूला का नाम कलमजन किया जाकर कृषि भूमि वादी सं. 25 के नाम दर्ज की जावे। वादी सं. 34 के दादा बगड़ावत पुत्र धीरा का बोगस नाम व खाता में दर्ज अन्य बोगस खातेदारों के नाम कलमजन किया जाकर खाता दुरूस्त किया जावे। वादी सं. 31 का नाम सलीन्द्र कुमार उर्फ सुनील कुमार दुरूस्त किया जाकर जमाबंदी में दर्ज किया जावे। घरू विभाजन अनुसार वादीगण के निम्नानुसार कृषि भूमि आधिपत्य एवं धारण में है –

चक 11 केएसडी जमाबंदी संवत् 2071–74 खाता सं. 41/4

(क) वादी सं.1 कुनाल गोदारा 0.608 हि. व वादी सं. 2 राजीव कुमार 3.150 हि. के आधिपत्य की भूमि –

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
129/106	8	11/0.051है., 12/0.038 है. 19 ता 22/.253 है. प्र.
128/107	22	4/1/.165है., 4/2/0.025 है. 5/1/.202है.,5/2/0.025है.खाला 5/3/0.026है.रास्ता,6/1/.228है. 6/2/0.025है.रास्ता, 7/.190है. 15/1/.228 है., 15/2/0.025है खाला
129/107	23	1/1/.228है.,1/2/0.025हैरास्ता, 2/1/.228है.,2/2/0.025है.रास्ता 9 ता 12/.253 है. प्र.

कुल 3.758 है. मय गै.मु. नहरी कृषि भूमि

(ख) वादी सं. 3 मंजूबाला, वादी सं.4 रघुवीर व वादी सं. 5 [illegible] के ब.हि.ब. आधिपत्य की भूमि –

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
129/107	23	7/.202 है., 8/.210 है. 13,14/.253 है.प्र.
128/108	29	17,23,24/.253 है.प्र.

कुल 1.677 है. नहरी कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.09 14:26:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

(ग) वादी सं. 6 हनुमान पुत्र जीतराम के आधिपत्य की भूमि –

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
129/107	23	3/1/.192है.,3/2/0.024हैरास्ता, 4/1/.228है.,4/2/0.025हैरास्ता, 5/1/.202है.,5/2/0.051हैरास्ता, 6/1/.114है.,6/2/0.012है.रास्ता 7/0.051 है., 8/0.043 है.

कुल 0.942 है. नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि

(घ) वादी सं. 7 हरदीपसिंह व वादी सं. 8 हरमनप्रीतसिंह के ब.हि.ब. आधिपत्य की भूमि –

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
128/106	9	14/0.089है., 15/0.063है., 16,17,24,25/.253 है.प्र.
128/107	22	4/1/0.063है., 7/0.063 है.

कुल 1.290 है. नहरी कृषि भूमि

(ड़) वादी सं. 9 ता 12 ब.हि.ब. 0.071 हि., वादी सं. 13 0.072 हि.वादी सं. 14 ता 17 ब.हि.ब. 0.072 हि., वादी सं. 18 0.287 हि.वादी सं. 19 0.071 हि., वादी सं. 20 ता 24 ब.हि.ब. 0.072 हि. के आधिपत्य की भूमि–

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
129/106	8	16/.240है., 17/.152 है., 25/.253 है.

कुल 0.645 है. नहरी कृषि भूमि

(च) वादी सं. 25 मोहिनी देवी के आधिपत्य की भूमि –

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
130/106	7	20/2/.215 है., 21/.253 है.,
130/107	24	1/1/.228है.,1/2/0.025है.रास्ता 10,11/.253 है.प्र.
129/107	23	6/1/.114है.,6/2/0.013है.रास्ता 15/1/.228है., 15/2/0.025 है. रास्ता

कुल 1.607 है. नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि

(छ) वादी सं. 29 व वादी सं. 30 ब.हि.ब. 0.433 हि. वादी सं. 31 व 32 हि., वादी सं. 32 व 33 ब.हि.ब. 0.239 हि. के आधिपत्य की भूमि –

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
129/106	8	13/0.013है., 17/0.101है., 18/.253है., 23,24/.253 है.प्र.
129/107	23	3/1/0.036है., 3/2/0.001है रास्ता

कुल 0.910 है. नहरी गै.मु. कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally Signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.09 14:26:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

वाद–पत्र की चरण सं.4 में उल्लेखित वादीगण के आधिपत्य की कृषि भूमि सांझा खाता में दर्ज होने के कारण एवम् खाता में अन्य खातेदारों–काश्तकारों जिनका आधिपत्य खाता में दर्ज कृषि भूमि पर नहीं है का नाम बोगस रूप से दर्ज होने के कारण कृषि भूमि की सीमा, रास्ता, खाला इत्यादि को लेकर विवाद होने का अंदेशा रहता है। खाता में खातेदारों का हिस्सा व खाता की कृषि भूमि के योग में अन्तर आने के कारण उक्त कृषि भूमि का खाता अपवादित खाता की श्रेणी में आ गया है। जिस कारण वादीगण सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि विकास की योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित हो रहे हैं। इस प्रकार वादीगण को घरू विभाजन में प्राप्त वादीगण के आधिपत्य की कृषि भूमि जिसे वादीगण निरन्तर बिना किसी विघ्न बाधा के काश्त करते आ रहे हैं। वादीगण की उक्त कृषि भूमि का खाता अलग से कायम होकर रकमराज अलग कायम नहीं हुआ एवं बोगस रूप से दर्ज अन्य खातेदारों का नाम व हिस्सा कलमजन नहीं हुआ तो वादीगण के खातेदारी अधिकारों का उल्लघंन एवम् उनके साथ कुठाराघात हो रहा है। वादीगण को अपरिमेय क्षतिकारित होगी जिसकी क्षतिपूर्ति रूपयों में नहीं आंकी जा सकेगी। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है।

विगत सप्ताह वादीगण ने प्रतिवादी से निवेदन किया कि वह वाद–पत्र की चरण सं. 4 में उल्लेखितानुसार कृषि भूमि का वादीगण को खातेदार–काश्तकार होना मान लेवें तथा चरण सं. 4 के उपचरण क, ख, ग, घ, ड़, च, छ के अनुसार वादीगण के हक व हिस्सा तथा आधिपत्य की कृषि भूमि का खाता अलग कायम करवा रकमराज अलग कायम करवा देवें। वादीगण के इस निवेदन पर प्रतिवादी पहले तो आजकल–आजकल कहकर टाल–मटोल करता रहा अन्ततः वादीगण के इस निवेदन को मानने से कतई इनकार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी राजपैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया का जबाव प्रस्तुत हुआ। जिसमें प्रतिवादी द्वारा प्रकरण को राज्य हित पर विपरीत प्रभाव डाले बिना निस्तारण किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं की है। प्रकरण में विवाधक न बनना पाये जाने पर साक्ष्य वादी रिकार्ड की गई। बहस अधिवक्ता वादीगण सुनी गयी। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद अपवादित खाता की कृषि भूमि के संबंध में वादीगण द्वारा आपसी सहमति से प्रस्तुत किया गया है। जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है। वाद–पत्र में वर्णित रकबा पर ही वादीगण काबिज है। वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का गहनता से परीक्षण किया गया। समग्र विवेचन से वादीगण को वाद–पत्र में याचित घोषणा एवं खाता विभाजन व खाता दुरुस्ती का अनुतोष प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है। वाद में वर्णित आराजी की घोषणा व खाता तकसीम तथा खाता दुरूस्त करवाने का अनुतोष वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.09 14:26:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

क्रियात्मक आदेश

अतः वादीगण को वाद–पत्र की चरण सं. 4 में उल्लेखितानुसार कृषि भूमि के खातेदार–काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण की कृषि भूमि का खाता वाद–पत्र की चरण सं. 4 के उपचरण क, ख, ग, घ, ड़, च, छ के अनुसार अलग कायम किया जाकर रकमराज अलग कायम किया जाता है।

पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो। यह निर्णय आज दिनांक 23.8.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
संगरिया

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.09 14:26:17 IST
Reason: SelfAttested